

प्रेरकदार

बनाम

लाजा सूधार

मुकदमा

पटवार

२२/१९

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख की तामील में जारी हुए
25/9/19	<p>पत्रावली सीगह से पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री ... <u>इगिता जोगी</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बांद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>सागरिया</u> पटवार मण्डल <u>सोदिया</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ... <u>169, 402, 403, 533/168</u></p> <p>रकबा <u>२.1605</u> हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता है इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को 2000/- अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काशत में दखल दिये मौजा <u>सागरिया</u> पटवार मण्डल <u>सोदिया</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>169, 402, 403,</u> <u>533/168</u></p> <p><u>रकबा 2.1605</u></p> <p>रकबा/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकम्मल तौर पर की जावें। पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>5/6/2020</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
डूंगला